जिलाधिकारी चन्दौली की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2016 को संपन्न उ0प्र0 के विकास हेतु शासन द्वारा चिन्हित विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 08.07.2016 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के 86 एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली, जिला विकास अधिकारी, चन्दौली, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा समस्त सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक की कार्यवृत्त निम्नवत् है :—

कृषि

1. *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना*

हरित कान्ति योजना— लक्षित 5 कार्यमदों में से एक कार्यमद धान के बीज—प्रदर्शन के कार्य की प्रगति 33 प्रतिशत दर्शायी गई है, जबकि यह कार्य 15 जून तक पूर्ण हो जाना चाहिये था। उप निदेशक कृषि एवं जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यह कार्य 15 जुलाई 2016 तक पूर्ण करवा लेवे तथा अन्य 04 मदों में प्रगति लाने हेतु इसी सप्ताह स्टेयरिंग कमेटी की बैठक बुला ली जाय

विभिन्न विभागों के यथा कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, दुग्ध विकास, नलकूप, लघु सिंचाई आदि के कार्यालयाध्यक्षों से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में कराये जाने वाले कार्यो का लक्ष्य/कार्ययोजना प्राप्त कर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

2. *सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्पों की स्थापना* — 54 नग इरीगेशन पम्पों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति समीक्षा में बतलाया गया कि फर्म " सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक लि0 साहिबाबाद" फाइनल हो गई है किन्तु अभी तक लाभार्थियों का चयन होना शेष है जब कि 200 प्राप्त होना दिखाया जा रहा है। कार्य में विलम्ब हो रहा है। माह जून ,016 में ही लाभार्थियों का चयन करवाकर लाभार्थी से बैंकड्राफट् प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लें ताकि माह जुलाई 016 में चयनित फर्म को कार्य हेतु आदेश प्रस्तारित किया जा सकें।

3. *पारदर्शी किसान् योजना*— उप निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया कि माह में ऑन लाईन कृषकों का पंजीकरण का लक्ष्य 47806 कृषकों का है जिसके सापेक्ष 41.01 प्रतिशत ही कृषकों का ऑनलाईन पंजीकरण हुआ है। जो कम है आनलाइन लाभ प्राप्त कृषकों की संख्या मात्र 651 है जो कुल प्रगति का 3.32 प्रतिशत ही होता है। जिसका एम0आई0एस0 सेवा प्रदाता के द्वारा कराया जा रहा है। उप निदेशक कृषि बैठक में अनुपस्थित थे। अतः निर्देशित किया गया कि अनुपस्थिति के दिनांक का वेतन बाधित किया जाय तथा जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ऑनलाईन

4. पंजीकरण शीघ्र पूर्ण कराये जाने एवं तद्नुसार कृषकों को लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये। लाभान्वित कृषकों की संख्या माह जुलाई, 016 में 20 प्रतिशत हासिल की जाय।

(कार्यवाही उप कृषि निदेशक)

5. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब की स्थापना-- योजनान्तर्गत गत वर्ष का लक्षित एक परियोजना हेतु उपलब्ध धनराशि 29.25 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि व्यय करते हुए परियोजना पूर्ण कर ली गयी है। इस वर्ष का कोई लक्ष्य नही प्राप्त है। उप निदेशक, मण्डी बैठक में उपस्थित नही हुये अतः अनुपस्थिति के दिनांक का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया।

6. नवीन मण्डियों की स्थापना एवं किसान बाजार का विकास--: उप निदेशक, मण्डी (निर्माण) द्वारा बताया गया कि जनपद का कोई लक्ष्य नहीं है।

7. एकीकृत बागवानी मिशन-- जनपद में योजना संचालित नही है।

(कार्यवाही--उपनिदेशक,मण्डी (निर्माण)

उद्यान विभाग

1. उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति--2012 का प्रभावी कार्यान्वयन-- अभी तक विभाग द्वारा कोई प्रयास नही किया गया है। माह जुलाई में आवश्यक प्रगति के साथ बैठक में प्रतिभाग करें।

पशुपालन

1. *कुक्कुट विकास नीति--2013 का प्रभावी कार्यान्वयन* -- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया

1. 30 हजार बर्ड्स की कामर्शियल लेयर योजना हेतु कुल 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनके लिये निदेशालय से लेटर ऑफ कंफर्ट भी जारी कराया गया था। जिसमें से एक लाभार्थी श्री सुनिल कुमार सिंह ने अपना ऋण आवेदन वापस ले लिया है। जिससे इनके पक्ष में जारी लेटर आर्फ कम्फर्ट को निरस्त कराने हेतु निदेशालय पत्र भेजा गया है। दूसरे लाभार्थी श्री राहुल सिंह का पत्र केनरा बैंक चन्दौली में दिनांक 25.05.2016 को प्रेषित किया गया है । इसके अतिरिक्त श्री प्रशान्त कुमार सकलडीहा का पत्र प्राप्त हुआ है जिसे लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने हेतु निदेशालय भेज दिया गया है। एक लाभार्थी का आवेदन पत्र केनरा बैंक से इसी माह स्वीकृत करा लिया जायेगा।

2. 10000 बर्ड्स की कामर्शियल लेयर योजना हेतु जनपद में कुल 6 ऋण आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से निदेशालय स्तर से 4 का लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कराया गया था। सिर्फ एक लाभार्थी का ऋण आवेदन पत्र केनरा बैंक मुगलसराय में प्रेषित किया जा सका है। शेष लाभार्थियों द्वारा कोई भी रूचि न लेने के कारण उनके पक्ष में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त 2 लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र और प्राप्त हुये है, जिनके पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने हेतु उनके

प्रार्थना पत्र को निदेशालय भेज दिया गया है। निर्देशित किया गया कि गरीबी उन्मूलन एवं कृषक आय वृद्धि के उद्येश्य से संचालित इन योजनाओं में संबंधित विभाग द्वारा अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे व्यक्तिगत प्रकरण में सम्मिलित होते हुए ऋण स्वीकृति एवं इकाई स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

2. *कामधेनु योजना* – समीक्षा में पाया गया कि कामधेनु की लक्षित 01 इकाई कियाशील हो गई है किन्तु पशुओं की संख्या 100 के सापेक्ष मात्र 36 ह। इसी प्रकार मिनी कामधेनु की लक्षित सभी 06 इकाईयॉं कियाशील हो गई है। किन्तु पशुओं की संख्या अभी 179 है जिसे बढ़ा कर कम से कम 300 के आस–पास किया जाय

मिनी कामधेनु योजना – मिनी कामधेनु की लक्षित सभी 06 इकाईयॉं कियाशील हो गई है। किन्तु पशुओं की संख्या अभी 179 है जिसे बढ़ा कर कम से कम 300 के आस–पास किया जाय।

माईको कामधेनु योजना– जनपद का लक्ष्य 20 इकाईयों की है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि 03 इकाईया कियाशील करा दी गई है जिनमें पशुओं की संख्या 112 है। निर्देशित किया गया कि मानसून सीजन में ही (अधिकतम अगस्त तक) लाभार्थियों की पत्रावलियां स्वीकृत करवाकर इकाईयां कियाशील कर ली जाय तथा लक्षित पशुओं की संख्या पर भी ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही मुख्य पशुचिकित्साधिकारी)

लोक निर्माण विभाग

समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ा जाना–

जिला मुख्यालय 04 लेन सड़क से पूर्व से ही जुड़ा है।

1. *कोर रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं चक्रानुसार शत–प्रतिशत मरम्मत किया जाना* –

अन्य जिला मार्ग योजनान्तर्गत सामान्य मरम्मत हेतु स्वीकृत चन्दौली–बबुरी मार्ग (ओ0डी0आर0 एच0–23) के सामान्य मरम्मत हेतु अनुमोदित लम्बाई 14.00 कि0मी0 के सापेक्ष कोई धनराशि अवमुक्त नही हुई है। धनराशि अवमुक्त कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निद्रेश दिया जाय । इसी प्रकार चन्दशैली शाखा मार्ग (गोबिन्दीपुर शाखा–सवैया मार्ग (ओ0डी0आर –35) के 12.80 किमी0 सामान्य मरम्मत हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नही हुई है। धनराशि अवमुक्त कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निद्रेश दिया जाय । अहरौरा – चकिया–इलिया मार्ग (ओ0डी0आर –30) के सामान्य मरम्मत हेतु 38.00 लाख के सापेक्ष मात्र 10.00 किमी0 कार्य कराते हुये मात्र 1212.50 लाख व्यय किया गया है ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रा0ख0 / जिला अर्थ एवंसंख्याधिकारी)

विद्युत विभाग

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना – अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौली द्वारा बताया गया कि योजनान्तर्गत कुल 2019 मजरों को संतृप्त किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष अबतक 586 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। समस्त 2019 मजरों का विद्युतीकरण सितम्बर 2017 तक पूर्ण कराया जाना है। निर्देशित किया गया कि शीघ्रातीशीघ्र कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें इसी प्रकार विद्युत संयोजन की प्रगति मात्र 3.72 प्रतिशत पायी गयी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड चन्दौली को निर्देशित किया गया कि सभी विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से सम्पर्क करके माह जुलाई में कैम्प लगवाकर प्रगति सुनिश्चित करवायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घटें के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन– अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया जो ट्रांसफार्मर खराब है उसे ठीक करायें। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि वे लगातार क्षेत्र भ्रमण करते रहे यदि कही पर ट्रांसफार्मर खराब अथवा जले पाये जाये तो उसे तत्काल ठीक करायें।

विद्युत उपकेन्द्र–: ग्राम रमौली, पई एवं पड़ाव में प्रस्तावित 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता की समीक्षा की गयी। उपस्थित अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम रमौली में निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो गयी है। ग्राम पई एवं पड़ाव में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि अनुपलब्ध है। निर्देशित किया गया कि संबंधित उपजिलाधिकारी के साथ भूमि उपलब्धता के संबंध में एक बैठक आहूत कर ली जाय।

रमजान के महीने के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि मुस्लिम बाहूल्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाय। अवांछित कटौती अथवा ट्रिपिंग न हो यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय। विभागीय अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोगार्थ उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें।

दैवी आपदा, विद्युत अधिनियम में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया। जिसका एक पक्ष में सत्यापन कराया जायेगा।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता विद्युत/अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्दौली।)

जिला विकास अधिकारी, चन्दौली द्वारा समग्र ग्राम में संचालित कार्यक्रमों के विभागीय अधिकारियों से कार्यक्रम की फोटोग्राफ संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया। निर्देशित किया गया कि समाज कल्याण एवं अन्य पेंशन विभाग पेंशन लाभार्थियों की सूची अलग से एक्सेल शीट पर उपलब्ध करायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा

1. *नवीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण –*

स्वीकृत राजकीय हाईस्कूल, गरला का कार्य कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। निर्देशित किया गया कि तत्काल पूर्ण कर हैण्डओवर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही विचारणीय होगा। माह जुलाई तक पूर्ण कर हैण्डओवर किये जाने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही परियोजना प्रबंधक पैकफेड)

2. *मॉडल स्कूल भवनों का निर्माण* – माडॅल स्कूल स्लैब एवं फर्श स्तर तक पूर्ण है। स्वीकृत मॉडल स्कूल पचकेड़िया (नौगढ़) का निर्माण कार्य इसी माह पूर्ण कराकर हस्तातंरित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही परियोजना प्रबंधक,उ0प्र0रा0नि0नि0मिर्जापुर)

बलिका छात्रावास का निर्माण– जनपद में 02 बालिका छात्रावासों की निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त है तथा कार्यदायी संस्था को प्रथम किस्त की धनराशि दी जा चुकी है । जिला विधालय निरीक्षक एवं अधिशासी अभियंता पैकफेड को निर्देशित किया गया कि छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हाकंन उप जिलाधिकारी से मिलकर 01 सप्ताह के अन्दर पुरी करवा लें तथा ले–आउट अनुमोदित हो चुका है, कार्य प्रारम्भ कराने की भी तैयारी करें।

3. *मेधावी छात्र/छात्राओं के लिये कन्या विद्या धन योजना* – जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताया गया कि गत वर्ष के लक्ष्य के अनुसार शतप्रतिशत छात्राओं को कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायक धनराशि वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कोई दिशा निर्देश शासन से अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

बेसिक शिक्षा

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की समीक्षा – निर्माण एजेंसी पी0डब्लू0डी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नौगढ़ की प्रगति 100 प्रतिशत है किन्तु भवन में कार्यदायी संस्था द्वारा सबमर्सिबुल नहीं स्थापित कराया गया है। जलापूर्ति का आभाव होने के कारण विद्यालय में शिफ्ट किया जाना संभव नहीं है। अधिशासी अभियंता, जल निगम तत्काल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत टैंकर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाय। कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय बनगांव 100 प्रतिशत पूर्ण है। भवन के निर्माण कार्य के स्थलीय निरीक्षण में कतिपय कमियां पायी गयी अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0 प्रा0खं0, को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया। कस्तूरबा

गांधी बालिका विद्यालय नौगढ़ एवं बनगांव के भवनों का भौतिक एवं वित्तीय सत्यापन त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा किया जा चुका है। उक्त क्रम में सत्यापन समिति की जांच आख्या दिनांक 01.04.2016 के अनुसार लगभग 02 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी निर्माण एजेन्सी द्वारा अवशेष कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है तथा भवन की स्थिति यथावत है। कार्यदायी संस्था तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत करायें। प्रत्येक दशा में आगामी शिक्षण सत्र का संचालन नवीन भवन में कराये जाने का निर्देश दिया गया। 02 दिनों के अन्दर विधालय को हैण्डओवर करवा दिया जाय तथा बच्चों के शिफट् किया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रा0ख0 / बेसिक शिक्षा अधिकारी / जलनिगम द्वितीय वाराणसी)

व्यावसायिक शिक्षा

कौशल विकास मिशन – समीक्षा में पाया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त एवं प्रशिक्षणरत लाभार्थियों की प्रगति अत्यंत धीमी है नोडल अधिकारी जिला सेवा योजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत आयोजित रोजगार मेले में कुल लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इनकी अलग से मिटींग बुला लें और प्रगति में सुधार लायें।

(कार्यवाही जिला सेवायोजन अधिकारी)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :–

1.जननी सुरक्षा योजना– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया योजनान्तर्गत लाभर्थियो के खाते खुलवाये गये है। निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों का शतप्रतिशत भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी स्तर पर लापरवाही न बरती जाय। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भुगतान में व्यवहारिक कठिनाई का जिक करते हुए अवगत कराया गया कि लाभार्थियों के एम0सी0टी0एस0 नंबर फीड होने के उपरांत ही भुगतान किये जाने की बाध्यता के कारण भी भुगतान में अपेक्षित नहीं है। उक्त पर आवश्यक कार्यवाही कर यथाशीघ्र एम0सी0टी0एस0 नंबर फीड कराकर लाभार्थियों को भुगतान कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी आवश्यक निर्देश दिये जाने पर बल दिया गया। शासकीय अस्पतालों में प्रसव की अपेक्षा निजी चिकित्सालयों में प्रसव अधिक होने के कम में निर्देश दिया गया कि आशाओं से यह प्रमाण पत्र लिया जाय कि गर्भवती महिलाओं का प्रसव शासकीय अस्पतालों में ही कराया जा रहा है। इस निमित्त सतत् प्रयास व प्रचार प्रसार कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। माह जून तक 08 मात्र मृत्तु की रिपोर्ट हुई है लेकिन आडिट एक का भी नही किया गया इस कार्य हेतु जिम्मेदार कौन है ? आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर समय से आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 02 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों स्वास्थ्य परीक्षण के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि मासिक लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायें । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी से चिकित्सकों के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी में जाने तथा बच्चों के परीक्षण के संबंध में जानकारी ली गयी। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि रोस्टर के अनुसार चिकित्सक आते है तथा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण व सलाह देते है। समस्त संबंधित विभाग साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि लो कास्ट सैनिटरी नैपकीन के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी की बैठक सुनिश्चित करें। उत्पादन इकाई को पंजिकृत कराये जाने की कार्यवाही करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा पंजिकृत/आवंटित उत्पादन इकाईयों से ही क्रय किये जाने का निर्देश है।

3. अनटाइड फण्ड– योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय सुनिश्चित कराया जाय। खण्ड विकास अधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रधानों तथा ए0एन0एम0 से वार्ता कर नियमानुसार धनराशि व्यय कराने हेतु कार्यवाही करें। यह भी अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित धनराशि संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव की संख्या पर निर्भर है। 30 से अधिक प्रसव पर यह धनराशि 40000.00 प्राविधानित है। धनराशि व्यय कराये जाने हेतु संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने खण्ड विकास अधिकारी से मिलकर अन टाइड फण्ड व वी0एच0एस0सी0 की राशि को तत्काल व्यय कराना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी इस हेतु जनपद नोडल अधिकारी को उत्तरदायी निर्धारित करें।

4. पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट– जनपद में स्थित समस्त अल्ट्रासाउण्डों का जनपद स्तर से गठित टीम द्वारा प्रतिमाह 6 से 7 अल्ट्रासाउण्डों का नियमित निरीक्षण कराया जाय साथ ही कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

4. क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम– मानक के अनुसार बलगम धनात्मक रोगियों के खोज का प्रतिशत लगभग आधा है इसे बढ़ाया जाय। निर्देशित किया गया कि समस्त रोगीयों के बलगम टेस्ट कराकर चिन्हित कराये और उन्हें दवा वितरण कराना सुनिश्चित करें।बैठक में डी0टी0ओ0/विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित अधिकारी को भी बैठक में बुलाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम– मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों एंव जूनियर हाईस्कूलों में कैम्प लगाकर छात्र/छात्राओं के नेत्र परीक्षण करायें जायें एंव उन्हें शत प्रतिशत चश्मा वितरण किया जायें । मोतियाबिन्द के केसेस को सर्वेक्षण कराकर सुनिश्चित कराते हुये

राजकिय क्षेत्र के चिकित्सालयों में आपरेशन की उपलब्धि बढ़ायी जाय जो मानक से बहुत कम है।

(कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी , चन्दौली)

6 स्वास्थ्य क्षेत्र के समस्त निर्माण कार्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमालपुर–कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0 द्वारा बताया गया कि मुख्य भवन के सीलींग स्तर पर कार्य प्रगति पर है। सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि कार्य तीव्र गति से पूर्ण कराकर भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत कराये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बबुरी के मुख्य भवन को तत्काल प्रथम वरीयता पर पूर्ण कराकर हस्तांतरित करा लिया जाय ताकि जनपद को चिकित्सीय सेवा का लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाय। आवासीय भवन का निर्माण द्वितीय चरण में कराया जाय।

(कार्यवाही सी0 एण्ड डी0 एस0 / ख0वि0अ0 धानापुर)

संयुक्त चिकित्सालय चन्दौली का निर्माण– सहायक अभियन्ता पैकफेड द्वारा अवगत कराया गया है कि फिजियोथेरेपी को छोड़कर शेष कार्य पूर्ण एंव हस्तगत करा दिया गया है। निर्देशित किया गया कि शीघ्रतिशीघ्र कार्य पूर्ण करायें। माह जुलाई अन्त तक पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन कार्यदायी संस्था द्वारा दिया गया।

100 बैड मेटेरनिटी विंग– अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 राजकिय निर्माण निगम मिर्जापुर इकाई (सूडा) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य जुलाई 2016 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

रोगी आश्रय स्थल का निर्माण– कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि भवन में वायरिंग, शीशा दरवाजा, कुंडा आदि का कार्य बाकि है रिवाइस इस्टीमेट प्रेषित कर दिया गया है। अवशेष कार्य पूर्ण कराये धनराशि आने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि सामुदायिक स्वासय केंद्र नौगढ़ के निर्माणाधीन रोगी आश्रय को संस्था पूर्ण कर हस्तगत कर दें एवं पुनः आगणित धनराशि की मांग हेतु पत्राचार प्रेषित करें।

राज्य पोषण मिशन–: जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि 9815 चिन्हित अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त सापेक्ष 5803 बच्चों को श्रेणी से बाहर लाया गया है। शेष को सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। निरीक्षण कार्य चल रहा है।

आदर्श आंगनबाड़ी के क्रम में अवगत कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी के गोंद लिये ग्राम बिसौरी में आदर्श आंगनबाड़ी बनाये जाने पर कार्यवाही किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि विकसित कर अधोहस्ताक्षरी को दिखाया जाय।